प्र.पी.419 **प्र.पी.317** D-395

EOW Crime No. 07/15 — II 157 C.J.

Witness No. 01 for 164 cpc Statement Deposition taken

the 23.02.15 day of Monday. Witness's apparent age 44 Y

States on affirmation my name is Arvind Singh Dhruw

son of Ganesh Singh Dhruw occupation Steno

address k.k Road Mohadapara Raipur C.G.

समय–4:10 बजे

1– वर्ष 2002 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में नियुक्ति हुई थी । वर्ष 2012 से मैं स्टेनोटायपिस्ट के रूप में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में पदस्थ हूँ ।

2– मै अवंति विहार स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय में प्रबंधक शिवशंकर भट्ट के स्टेनो के रूप में कार्य करता हूँ । शिवशंकर भट्ट 27 जिलों के पी.डी.एस. के प्रभारी थे । मै शिवशंकर भट्ट के अधीनस्थ कम्प्यूटर पर नेट के माध्यम से प्राप्त आदेशों को देखकर उनकी जानकारी शिवशंकर भट्ट को देता था तथा शिवशंकर भट्ट के निर्देशानुसार जवाब तैयार करता था ।

3– विभिन्न जिलों से प्राप्त खाद्यान्न चावल, नमक, शक्कर, गेंहूँ, पीली मटर दाल, अमृत नमक को गोदामों में जमा कराया जाता था । प्रत्येक जिलों के महाप्रबंधक द्वारा पी.डी.एस. हेतु खाद्यान्न की मॉग की जाती थी जिसे मै भट्ट साहब के आदेशानुसार जारी किए जाने का आदेश तैयार करता था।

4– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक जिले में चावल की गुणवत्ता की जॉच क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा की जाती थी । जिला प्रबंधक तथा क्वालिटी इंस्पेक्टर अपने–अपने जिलों में राईस मिलों के मालिकों से चावल प्राप्त करने में विभिन्न कमियॉ बताकर कमीशन प्राप्त करते थे । 4 रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से जिला प्रबंधक तथा क्वालिटी इंस्पेक्टर शिवशंकर भट्ट को कमीशन के रूप में अवैध रूप से वसूल किया गया पैसा भेजते थे जो शिवशंकर भट्ट स्वयं लेता था और कभी–कभी उनके निर्देश पर मै लेता था ।

5– कमीशन की जो अवैध वसूली की राशि मुख्यालय में प्राप्त होती थी उसका वितरण मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों में किया जाता था । मुझे प्रति माह 3,000/– रूपए प्राप्त होते थे । दो–तीन माह पूर्व 12,000/– रूपए देना प्रारंभ कर दिया था । प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला तथा मुख्य प्रबंधक अनिल टुटेजा को प्रतिमाह 20,00,000/– रूपए दिया जाता था ।

6– मै अधिकांशत: शिवशंकर भट्ट के कहने पर एम.डी. साहब के पी.ए. गिरीश शर्मा को देता था ।

7– 11 फरवरी, 2014 को गिरीश शर्मा ने पूछा कि रकम इकट्ठा हो गयी है तब मैने उससे कहा कि मुझे जानकारी नहीं है । उसी दिन शाम को भट्ट साहब ने बुलाकर मुझे कहा कि बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, नारायणपुर, सुकमा, जांजगीर, बीजापुर से कमीशन की राशि प्राप्त हुई है, अपने पास रख लो ।

8– 12 फरवरी, 2014 को सुबह 8–9 बजे के लगभग भट्ट साहब ने फोन करके कोडवर्ड करके कहा कि तुम्हारे पास 20 फाईल तैयार हो गयी तब मैने कहा कि जी तैयार हो गयी है । मै सुबह 10:20 बजे पर कार्यालय आ गया । थोड़ी देर बाद भट्ट साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप रकम ले आए हो तब मैने कहा कि रकम नहीं लाया हूँ तब उन्होंने लंच के बाद रकम लाने के लिए कहा । कुछ देर बाद गिरीश शर्मा ने आकर कहा कि तत्काल रकम लेकर आओ ।

9– मै मुख्यालय के पूल वाहन कार को लेकर घर गया और मैने 20,00,000/– रूपए रकम लाकर गिरीश शर्मा को लाकर दे दिया । कुछ देर बार मुख्यालय में छापा पड़ा और गिरीश शर्मा से उक्त राशि जप्त हो गयी ।

10– मै मुझे प्राप्त होने वाला पैसा तथा मेरे द्वारा शिवशंकर के निर्देश पर लोगों को दिए गए पैसों को एक डायरी में लिखकर रखता था । उक्त डायरी ए.सी.बी. की टीम द्वारा मुझसे जप्त की गयी है ।

11– दिसंबर माह के अंत में पी.डी. हरचंदानी, अशोक सोनी, क्षीर सागर, के. के. यदु, हरदीप सिंह भाटिया, आर.एन. सिंह, सुवीर भोले, आलोक चंद्रवंशी तथा कुछ अन्य नाम जो मुझे आज याद नहीं आ रहे है, अपने–अपने जिलों से भट्ट साहब के निर्देशानुसार मेरे पास अपने–अपने जिले का पैसा जमा कर गए । मैने शिवशंकर भट्ट के निर्देश पर कपनी सचिव संदीप अग्रवाल को एक लाख रूपए तथा लेखाधिकारी जी.के. देवांगन को 40,000/– रूपए उनके हिस्से के दिए थे ।

12– एक बार हमारे विभाग के अतुल नामक ठेकेदार ने भी मुझे भट्ट साहब के कहने पर 10 लाख दिए जिसे गिनने पर बाद में 15,000/– रूपए कम निकले तब मैने 10 लाख रूपए भट्ट साहब को उसी दिन वापस दे दिये थे ।

13– दिसंबर माह में अतुल से प्राप्त 10 लाख रूपए से 5 दिन पूर्व भट्ट साहब ने मुझे 50,00,000/– रूपए दिए और कहा कि इसमें से 20 लाख रूपए निकालकर 1,000/– रूपए के नये नोट ले आओ तब मैने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जयस्तंभ शाखा से 20,00,000/– रूपए 1,000/– रूपए के नए नोट के रूप में लाकर दिए थे ।

14– भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि शेष 30,00,000/– रूपए मुझे शंकर नगर, अशोका रतन में स्थित ओरिमा ब्यूटी पार्लर में मधुरिमा शुक्ला को देने के लिए कहा था जो मैने देने से मना किया तो उन्होंने मुझ पर दबाव डाला । मैने नहीं

दिया। मेरी जानकारी में भट्ट साहब की बहुत सी सम्पत्ति मधुरिमा शुक्ला के पास है। वे उनके माध्यम से अपने रूपयों का इन्वेस्टमेन्ट करते है ।

नोट :– मैने कथनकर्ता अरविन्द ध्रुव पिता–गणेश सिंह ध्रुव को यह समझा दिया कि वह कथन के लिए आबद्ध नहीं है साथ ही कथनकर्ता गिरीश शर्मा से मेरे द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के कर रहा है अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है ? कथनकर्ता ने कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर–दबाव के दिया जाना व्यक्त किया । उसे कथन पढ़कर सुना दिया गया है । उसने उसका सही होना स्वीकार किया है। उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा एवं सही वृतांत है ।

वाचित / स्वीकृत

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर ....

True Copy

(उदय लक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

...2012...4,00,000